न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 98/2024 निर्णय दिनांक :– 13/5/2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. धनराज पुत्र रामपाल जाति तेली निवासी दूनी जिला टोंक राज0
2. मून्नी देवी पत्नी स्व0 रामपाल जाति तेली निवासी दूनी जिला टोंक राज0
3. माया पुत्री रामपाल जाति तेली निवासी दूनी जिला टोंक राज0
4. मीरा पुत्री रामपाल जाति तेली निवासी दूनी जिला टोंक राज0
5. रमेश पुत्र रामपाल जाति तेली निवासी दूनी जिला टोंक राज0
6. राजेन्द्र पुत्र रामपाल जाति तेली निवासी दूनी जिला टोंक राज0
7. रामदेव पुत्र छीतर जाति तेली निवासी दूनी जिला टोंक राज0
8. शिवदयाल पुत्र छीतर जाति तेली निवासी दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री सांवरिया बैरागी **तहसीलदार दूनी**

अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 1317 खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 1092 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.85 है0, खसरा नम्बर 3014 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 3015 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 3016 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 656 रकबा 0.93 है0 व खसरा नम्बर 657 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत् भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नही करवायी गई तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप मुकदमें बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थीगण की शामलाती खातदारी में दर्ज व कब्जे–काश्त की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो के खसरा नम्बर 650, 653, 654, 655, 1084, 1086, 1088, 1090, 1091, 1093, 1109, 1111, 1112, 1113, 3013, 3017, 3030 से सीमा विवाद है। उक्त आराजी का कोई विरासत नामान्तकरण अवशेष नही है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2071–74 में खाता संख्या 1317 खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 1092 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.85 है0, खसरा नम्बर 3014 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 3015 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 3016 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 656 रकबा 0.93 है0 व खसरा नम्बर 657 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को

अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली